राजस्थान राज्य में बघेरों के बचाव और मानव–बघेरा संघर्ष प्रबंधन हेतु SOP

परिचयः

राजस्थान में तेंदुआ (जिसे अन्य नाम जैसे बघेरा, पैन्थर या लेपर्ड से जाना जाता है) (Panthera pardus) व्यापक रूप से वितरित हैं और वन क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों और मानव बस्तियों के निकट के इलाकों में निवास करते हैं। बढ़ती मानव आबादी, आवास विखंडन और भूमि उपयोग के बदलते स्वरूपों के कारण मानव– बघेरा टकराव में वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप कभी–कभी संघर्ष की स्थितियां उत्पन्न होती हैं जो मानव सुरक्षा और तेंदुआ संरक्षण दोनों के लिए खतरा पैदा करती हैं। घनी मानव आबादी के बीच बघेरों का शांतिपूर्ण सह–अस्तित्व सुनिश्चित करना एक कठिन चुनौती है। इसलिए, वन्यजीवों और लोगों की सुरक्षा के साथ–साथ सह–अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी बचाव अभियान, संघर्ष निवारण रणनीतियाँ और सामुदायिक जागरूकता आवश्यक हैं।

इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य वन अधिकारियों, रेस्क्यू टीम, स्थानीय प्रशासन और सामुदायिक हितधारकों को बघेरों से जुड़ी आपात स्थितियों से निपटने के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान करना है, ताकि वे जिम्मेदारीपूर्वक और वैज्ञानिक तरीके से काम कर सकें। इनमें पशु कल्याण, जन सुरक्षा, कानूनी अनुपालन और आधुनिक वन्यजीव प्रबंधन पद्धतियों के उपयोग पर जोर दिया गया है। त्वरित प्रतिक्रिया, उचित प्रबंधन प्रोटोकॉल और संघर्ष–निवारक उपायों को बढ़ावा देकर, ये दिशानिर्देश राजस्थान में बघेरों और मानव समुदायों के बीच जोखिमों को कम करने, रेस्क्यू परिणामों में सुधार करने और दीर्घकालिक सह–अस्तित्व को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं।

1. **विषयः–** मानव बस्तियों में बघेरों के आ जाने के कारण उत्पन्न आपात स्थिति से निपटने के लिए मानक प्रक्रिया (एसओपी)।
2. **उद्देश्यः–** भटकते हुए बघेरों को सबसे उपयुक्त तरीके से सुरक्षित करने के साथ साथ मनुष्यों, पशुधन, जंगली जानवरों और संपत्ति को किसी भी प्रकार की दुर्घटना या चोट से बचाना।
3. **संक्षिप्त सारांशः**–यह मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बुनियादी, न्यूनतम कदम प्रदान करती है, जो मानव–प्रधान परिदृश्यों में भटकने वाले बघेरों की घटनाओं से निपटने के लिए जमीनी स्तर पर उठाए जाने आवश्यक हैं।

4. **कार्य क्षेत्रः–य**ह मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) सम्पूर्ण राज्य में प्रभावी होगी।

5. **उत्तरदायित्वः–** रेस्क्यू के लिए –

- संबंधित क्षेत्र के उप वन संरक्षक उत्तरदायी अधिकारी होंगे। जिनकी निगरानी के लिए उनके नियंत्रक अधिकारी जिम्मेदार होगें।
- संबंधित उप वन सरंक्षक अपने स्तर से संबंधित जिले के जिलास्तरीय अधिकारियों से सम्पर्क एवं समन्वय स्थापित करेगें।
- भीड़ पर नियंत्रण, समग्र कानून व्यवस्था की स्थिति और आवश्यक सहायता के लिए अन्य विभागों के साथ समन्वय के लिए जिला कलेक्टर या जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा निर्देशित अन्य वरिष्ठ अधिकारी।
- राज्य स्तर पर समग्र निगरानी हेतु राजस्थान के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक द्वारा नामित अधिकारी।

अन्य विभागों से अपेक्षित सहयोग

- जिला प्रशासन द्वारा मौके पर भीड़ के नियंत्रण एवं अन्य व्यवस्थाओं हेतु सहयोग।
- जिला पुलिस विभाग द्वारा भीड़ को नियंत्रण करने हेतु प्रर्याप्त पुलिस स्टाफ उपलब्ध करना तथा रेस्क्यू हेतु आवश्यक रास्तें खुलवाना। यदि भीड़ बेकाबू/अनियंत्रित स्थिति में हो तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 लागू करके कानून व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- अग्निशमन विभाग द्वारा घटना स्थल पर पहुँच कर अग्निशमन वाहन को ले जाकर स्थिति अनुसार उपयोग में लेना।
- पशुपालन विभाग द्वारा स्थानीय पशु चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ को मौके पर भेज कर रेस्क्यू टीम की मदद करना।
- नगर निगम/ नगर पालिका / ग्राम पंचायत द्वारा क्षेत्र में बघेरा के रेस्क्यू हेतु आवश्यक संसाधन एवं स्टाफ उपलब्ध कराना।
- जिला कलेक्टर द्वारा आवश्यकता पड़ने पर नागरिक सुरक्षा के कार्मिकों को भिजवाना।
- सूचना एवं जन संपर्क विभाग द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी जो कि मीडिया प्रबंधन हेतु मौके पर उपस्थित विभिन्न चैनलों के मीडिया कर्मियों को अनावश्यक प्रचार-प्रसार को रोकने हेतु दिशा निर्देश जारी करना।

6. रेस्क्यू हेतु नियमित रूप से किये जाने वाली तैयारियो की समीक्षा :-

- उप वन संरक्षक गण अपने क्षेत्र में रेस्क्यू करने के लिये आवश्यक उपकरण को माह में एक बार चैक करेंगें ताकि रेस्क्यू का समय आने पर उक्त उपकरणों/साधनों की उपलब्ध्ता सुनिश्चित की जा सकें।
- डिवीजन स्तर पर आवश्यक उपकरण/संसाधन का एक रजिस्टर संधारित करेंगे ताकि रेस्क्यू की आवश्यकता पड़ने पर कोई उपकरण/संसाधन रेस्क्यू के दौरान कम ना पड़ें।
- प्रत्येक रेंज स्तर पर एक त्वरित प्रतिक्रिया टीम (रेपीड रेस्पोंस टीम RRT) का गठन किया जाना सुनिश्चत करेंगें।
- प्रत्येक तीन माह में एक बार मॉक डिल्र (mock drill) की कार्यवाही करवायेंगे।
- बघेरा बाहुल क्षेत्रों में बघेरा के बारे में ग्रामवासीयों को मूलभूत जानकारी देंगे। बघेरे की शारीरिक बनावट, व्यवहार एवं खान पान इत्यादि के बारे में चित्र सहित पम्पलेट के द्वारा ग्रामवासीयों को समझाइश करगें। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत बघेरा के बारे में जानकारी उपलब्ध करायेगें। साथ ही यह अवगत करायेगें कि बघेरा केवल स्वंय को खतरा होने पर मानव पर हमला करता है अन्यथा नहीं।
- उपकरण जैसे ट्रेकुलाइज गन की नियमित सफाई तथा आवश्यक दवा की उपलब्धता का नियमित निरीक्षण करेंगे।

7. बघेरों के रेस्क्यू के लिये आवश्यक दिशानिर्देशः-

- सूचना प्राप्त होने पर यथाशीघ्र उप वन संरक्षक द्वारा वन्यजीव एवं उसकी जगह के बारे में तथा. घटना द्वारा किसी मानव/अन्य पशु के दुर्घटना ग्रस्त होने इत्यादि की सूचना तत्काल प्रभाव से उच्च अधिकारियों (संबंधित वन संरक्षक/मुख्य वन सरंक्षक, मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक एवं प्रधान मुख्य वन सरंक्षक (हॉफ)) को कॉल अथवा मैसेज के द्वारा सूचित करना आवश्यक होगा।
- उप वन संरक्षक द्वारा सर्वप्रथम संबंधित क्षेत्रीय वन अधिकारी एवं अधीनस्थ स्टॉफ को मौके पर कार्यवाही हेतु तुरन्त भेजना होगा।

- उप वन संरक्षक बघेरा के रेस्क्यू के संबंध में जिला कलेक्टर/जिला पुलिस अधीक्षक को सूचित कर अन्य विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के सहयोग तथा भीड़ नियंत्रण के सहयोग हेतु निवेदन किया जायेगा।
- मौके पर स्टॉफ द्वारा बघेरे के संबंध में साक्ष्य एकत्रित कर फोटो/वीडियों इत्यादि को उप वन संरक्षक को मैसेज पर भेजा जाएगा साथ ही मौके पर भीड़ आदि की स्थिति के बारे में यथाशीघ्र ही अवगत कराया जायेगा।
- स्थानीय माननीय जन प्रतिनिधियों जो घटना स्थल से संबंधित है, को भी यथासम्भव सहयोग हेतु सूचित किया जायेगा।

8. रेस्क्यू के दौरान किये जाने वाले आवश्यक कार्य :–

- बघेरे स्थित क्षेत्र के आस–पास आमजन को एकत्रित नहीं होने देना।
- आमजन द्वारा बघेरे को जाने हेतु एक रास्ता खुला छोड़ना।
- स्थानीय जनप्रतिनिधि गण, स्थानीय पुलिस स्टेशन तथा प्रशासन को सूचित कर भीड़ को नियंत्रित करने की कार्यवाही करना।
- डीसीएफ, एसीएफ, क्षेत्रीय वन अधिकारी, रेपीड़ रेस्पोंस टीम इत्यादि को बघेरे की सूचना मिलने पर तुरंत प्रभाव से मौके पर पहुँच कर उच्च अधिकारीयों को वस्तुस्थिति से अवगत कराना।
- बघेरा की लोकेशन मिलने पर उसके चारों ओर लगभग 100–200 मीटर दूरी पर स्थिति अनुसार आमजन को एकत्रित नहीं होने के लिये पुलिस एवं वन कर्मियों की मदद से दूर रखना।
- बघेरे की स्थिति अनुसार पशुचिकित्सक द्वारा बघेरे को आवश्यकता अनुसार ट्रेक्युलाइज कर ट्रेप केज में उसका ट्रीटमेंट कर शिफ्ट करना।
- रेस्क्यू के दौरान एक स्टाफ द्वारा पूरे घटना क्रम का फोटोग्राफ एवं वीडियों तैयार करना तथा घटना स्थल के आवश्यक कागजात तैयार करना।
- यदि कोई बघेरा मानव–बहुल क्षेत्र में भटक जाता है, तो जिला अधिकारियों द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 लागू करके कानून व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- घटनास्थल की जीपीएस रीडिंग रिकॉर्ड करना।
- प्रत्येक मंडल स्तर पर एक त्वरित प्रतिक्रिया दल (आरआरटी)/बचाव दल का गठन किया जाएगा, जिसमें अनिवार्य रूप से दो डार्टिंग विशेषज्ञ, कम से कम 4 वन रक्षक, 1 वनपाल, 1 रेंज अधिकारी, वन पशु चिकित्सा अधिकारी या स्थानीय पशु चिकित्सक शामिल होंगे।
- संपूर्ण बचाव अभियान और परिवहन के दौरान, जनता द्वारा फोटोग्राफी की अनुमति नहीं होगी।
- सुरक्षित स्थान पर ले जाने के बाद, यदि बघेरा घायल पाया जाता है, तो पशु चिकित्सक द्वारा उसकी विस्तृत जांच की जाएगी और तदनुसार उपचार किया जाएगा। यदि वह घायल नहीं पाया जाता है और पशु चिकित्सक द्वारा प्रमाणित किया जाता है, तो उच्च अधिकारियों से आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के बाद बघेरों को 24 घंटों के भीतर उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया जाएगा। बघेरों को छोड़ने से पहले उसमें माइक्रोचिप लगाई जाएगी। ताकि पुनरावृति की समीक्षा की जा सकें।

9. **रेस्क्यू के लिये आवश्यक उपकरण व संसाधन की सूचीः–**

- सार्वजनिक संबोधन प्रणाली (Public Address System PAS) और एक रेस्क्यू वाहन ।
- आवश्यक दवाओं से युक्त ट्रैंक्विलाइजेशन किट ।
- कम से कम चार वॉकी–टॉकी (पूरी तरह से चार्ज और अतिरिक्त बैटरी सहित) और चार सर्च लाइट।
- जीपीएस सेट.
- आधिकारिक फोटोग्राफी के लिए नामित कर्मचारी द्वारा संचालित मोबाइल सेट कैमरा।
- केज (पिन्जरा) एवं गहरा रंग का मोटा कपड़ा।
- विभिन्न मोटाई की रस्सियाँ ,खूंटियां। नायलॉन की रस्सियाँ भी प्राप्त की जा सकती हैं।
- पर्याप्त मात्रा में नायलॉन नेट।
- क्रेन, ट्रक, ट्रैक्टर एवं मिनी–ट्रक के आपूर्तिकर्ताओं की संपर्क संख्या सहित सूची।
- बेहोश किए गए बघेरा को ठंडा वातावरण में रखने की व्यवस्था।
- पटाखे और बंदूक कार्यशील अवस्था में यदि बघेरे को पकड़ने की बजाय समीप के वन क्षेत्र में भगाने की परिस्थिति हो तो।
- सुरक्षात्मक उपकरण और बघेरे से बचाव के लिए स्टाफ के लिए आवश्यक रक्षात्मक उपकरण एवं प्राथमिक चिकित्सा किट।
- पोर्टेबल सीढ़ी।
- ग्रिल कटर/लकड़ी कटर, गेंती, फावडा, तगारी, हथौड़ा इत्यादि।
- स्ट्रेचर

10. **कानूनी ढांचाः– सभी कार्यवाईयां निम्नलिखित का अनुपालन करेंगीः–**

- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972।
- वन्यजीव आपात स्थितियों पर एनटीसीए/एमओईएफसीसी की सलाह।
- राजस्थान के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक के निर्देश।
- पकड़ने या जान से मारने की कार्रवाई केवल कानूनी रूप से अनुमत परिस्थितियों में और उचित प्राधिकरण के साथ ही की जाएगी।

11. **समस्या की प्रत्येक श्रेणी के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) नीचे छह अलग–अलग स्थितियों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का विवरण दिया गया है।**

11.1 बघेरे के कुंए में गिर जाने पर :–

- बिन्दु संख्या 7 से 10 के अनुसार कार्यवाही करनी होगी।
- यदि कुए में बिजली की मोटर का कनेक्शन है तो तुरंत काट दिया जाएगा।
- अधिकतर मामलों में, बघेरे आराम करने के लिए कुओं या प्राकृतिक दरारों में लगे मचानों का उपयोग करते हैं। यदि कोई बघेरा पानी में डूबने से बचाव के लिए लडता हुआ पाया जाता है, तो लकड़ी के खंभे, सीढ़ी और चार कोनों से रस्सी से बंधी चारपाई को कुएं में छोड़ा जा सकता है, ताकि बघेरा कुछ देर आराम कर सके। इस प्रकार, बघेरों के पानी में डूबने और मृत्यु होने की संभावना को रोका जा सकता है।

- यदि कुएँ में पानी है, तो जाल को कुएँ में पानी के स्तर से ठीक ऊपर बिछाया जाना चाहिए। जाल का आकार कुएँ की परिधि के अनुरूप होना चाहिए। यदि बघेरा बेहोश किया हुआ है, तो उसे पानी में डूबने से बचाना आवश्यक है। साथ ही कुएं के आस–पास भीड़ बिल्कुल भी इकट्ठा नहीं होने दें।
- सूर्यास्त के बाद कोई रेस्क्यू अभियान नहीं चलाया जाएगा। यदि बघेरा को सूर्यास्त से पहले नहीं बचाया जा सका, तो मानव बस्तियों के विपरीत दिशा में कुएं में लोहे या लकड़ी की सीढ़ी छोड़ दी जाएगी। यदि वह सूर्यास्त के बाद भी बाहर आता है, तो यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती जाएगी कि वह मानव बस्तियों में प्रवेश न करे। एक या दो कर्मचारियों को पेड़ पर या कुएं से सुरक्षित दूरी पर स्थित मचान पर बैठाया जाएगा और उन्हें पूरी रात बघेरों पर नजर रखने का निर्देश दिया जाएगा। अगले दिन सुबह रेस्क्यू अभियान फिर से शुरू किया जा सकता है।
- यदि वह मचान पर या दरारों में बैठा हो, तो उसे बिना बेहोश किए बचाने का प्रयास किया जाएगा। कुएं में पिंजरा छोड़कर क्रेन की सहायता से बघेरा को बचाने की संभावना का आकंलन किया जाएगा और तदनुसार निर्णय लिया जाएगा।
- यदि बघेरे को पिंजरे में नहीं पकड़ में आने पर उसे बेहोश करना आवश्यक पाया जाए, तो रेस्क्यू टीम क्रेन की सहायता से छोटे पिंजरे की मदद से दवा की पर्याप्त खुराक देकर उसे बेहोश करेगी। फिर, बेहोश किए गए बघेरे को अन्य कर्मचारियों की सहायता से क्रेन की मदद से उठाकर कुएं से बाहर लाया जाएगा। इसके बाद उसे पिंजरे में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इसके बाद, संबंधित पशु चिकित्सक यह जांच करेगा कि बघेरा घायल है या नहीं। यदि वह घायल पाया जाता है, तो मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया जाएगा। फिर, उसे रेस्क्यू वाहन के माध्यम से सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाएगा।
- कुछ मामलों में यह देखा गया है कि बघेरे जंगल या निजी क्षेत्र के खुले कुओं में मृत पाए गए हैं, क्योंकि वे दो–तीन दिन पहले उनमें गिर गए थे। ऐसे मामलों में, उन्हें कुएं से निकालकर पशु चिकित्सक द्वारा जांच कराई जाएगी। इसके बाद, उच्च अधिकारियों की उपस्थिति में नियमानुसार पोस्टमार्टम किया जाएगा। साथ ही, यह भी पुष्टि की जाएगी कि क्या पिछले रेस्क्यू अभियान के दौरान बघेरों में माइक्रोचिप लगाई गई थी। पोस्टमार्टम के बाद, उन्हें पूरी तरह से जला दिया जाएगा। जलाने के बाद आवश्यक पंचनामा तैयार किया जाएगा। पंचनामा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सुरक्षित रखा जाएगा और विस्तृत रिपोर्ट तुरंत उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। इन घटनाओं को रजिस्टरों में दर्ज किया जाएगा।

11.2 मवेशी बाड़े/घर/मानव बस्तियों में बघेरा पाये जाने पर :–

- बिन्दु संख्या 7 से 10 के अनुसार कार्यवाही करनी होगी।
- रेस्क्यू टीम प्रभारी उपलब्ध खुले स्थानों के माध्यम से बघेरे के सटीक स्थान की पुष्टि करेगा।
- यदि बघेरा खेत से घिरे किसी घर में पाया जाता है, तो उसके प्राकृतिक आवास में भागने के लिए जगह बनाने का निर्णय लिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, उसके प्राकृतिक आवास की ओर जाने वाला दरवाजा खोल दिया जाना चाहिए। दरवाजा खोलने से पहले, उसके प्राकृतिक आवास की ओर जाने वाले रास्ते में मौजूद अवरोधों को हटा दिया जाना चाहिए। ताकि बघेरा स्वयं ही घर से बाहर निकल जाए।

- यदि बघेरा घायल अवस्था में पाया जाता है, तो उसे घर से भगाना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में, घर के सभी द्वार बंद करने के बाद, आवश्यक मात्रा में दवा देकर बघेरे को बेहोश किया जा सकता है। बघेरे को बेहोश करने की पुष्टि होने के बाद ही उसे पिंजरे में डालकर तुरंत किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाएगा। इस प्रक्रिया से पहले सड़क को यातायात के लिए खाली कर दिया जाएगा।

11.3 बघेरे खुले मैदानों, खेतों और दुर्गम स्थानों में देखे जाने परः—

- बिन्दु संख्या 7 से 10 के अनुसार कार्यवाही करनी होगी।
- यदि बघेरा खुले में आ जाए तो कोई भी उसका पीछा न करे। इसे तमाशा न बनने दिया जावे। अन्यथा, इससे मनुष्य और बघेरे के बीच संघर्ष हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप मनुष्यों को चोट लग सकती है या उनकी मृत्यु हो सकती है।
- घटनास्थल पर पहुँचने के बाद, रेस्क्यू टीम प्रभारी स्थिति का निरीक्षण और आकंलन करेगा और बघेरे को उसके प्राकृतिक आवास की ओर वापस भेजने की उचित योजना बनाएगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह मानव बस्तियों में वापस न लौटे। क्योंकि खुले स्थान में उसे बेहोश करना बहुत मुश्किल होता है।
- यदि तमाम रेस्क्यू प्रयासों के बावजूद बघेरा खेत से बाहर नहीं आता है, तो संबंधित उच्च अधिकारियों से आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के बाद, मांस युक्त ट्रैप केज उसके प्राकृतिक आवास की दिशा में रखा जाएगा। या तो बघेरा पिंजरे में फँस जाएगा या अपने प्राकृतिक आवास में वापस चला जाएगा। यदि वह फँस जाता है, तो उसे तुरंत किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाकर सुरक्षित रूप से छोड़ दिया जाएगा।
- यदि यह खेत में घायल अवस्था में पाया जाता है, तो रेस्क्यू टीम द्वारा इसे बेहोश करके उपचार के लिए पिंजरे में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक से आवश्यक निर्देश प्राप्त करने के बाद, पशु चिकित्सा अधिकारी के सुझाव के आधार पर बघेरो की स्थिति के अनुसार, उसे वापस जंगल, चिड़ियाघर या बचाव केंद्र में छोड़ा जा सकता है।

11.4. विकलांग / घायल और वृद्ध बघेरा :—

- बिन्दु संख्या 7 से 10 के अनुसार कार्यवाही करनी होगी।
- रेस्क्यू टीम प्रभारी घायल बघेरें का बारीकी से निरीक्षण करने के बाद उसे बेहोश करने का निर्णय लेगी। वह उसे दवा की उचित खुराक देकर बेहोश करेगी और रेस्क्यू टीम के अन्य सदस्य बेहोश बघेरे को पिंजरे में ले जाने में उसकी सहायता करेंगे। इसके बाद, उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाएगा।
- यदि वह घायल पाया जाता है, तो पशु चिकित्सक द्वारा उसकी जांच और उपचार किया जाएगा। यदि वह वृद्ध या गंभीर रूप से घायल पाया जाता है, तो उसे राजस्थान के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की अनुमति से बचाव केंद्र या चिड़ियाघर भेजा जाएगा।

11.5 बघेरे का शावक अकेले पाए जाने पर :–

- बिन्दु संख्या 7 से 10 के अनुसार कार्यवाही करनी होगी।
- किसी भी परिस्थिति में शावकों को न तो उठाया जाना चाहिए और न ही उन्हें भगाया जाना चाहिए, ना ही शावकों को रेस्क्यू किया जाना चाहिए और मां को शावकों से फिर से मिलाने के प्रयास किए जाने चाहिए।
- बचाव दल के आने तक, फील्ड स्टाफ शावकों पर सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए नजर रखेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी शावकों के पास न जाए, क्योंकि मादा बघेरा आस–पास ही हो सकती है। यदि कोई शावकों के पास जाता है, तो मादा बघेरा द्वारा उस पर हमला किए जाने की संभावना है।
- घटनास्थल पर पहुंचने के बाद, बचाव दल को इस प्रकार योजना बनानी चाहिए कि मादा बघेरा अपने शावकों के साथ प्राकृतिक आवास क्षेत्र की ओर बढ़ सके।
- यदि 24 घंटे उपरांत मादा बघेरा शावकों की देखभाल के लिए वापस नहीं आती है, तो शावकों को पशु चिकित्सक की कड़ी निगरानी में दस्ताने पहन कर केवल दूध पिला कर बचाया जाएगा। दूध पिलाने के बाद, शावकों को उनके मूल स्थान पर ही रखा जाएगा, क्योंकि मादा बघेरा अपने शावकों की देखभाल के लिए वापस उसी स्थान पर आ सकती है और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जा सकती है। मादा बघेरा की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए उस स्थान पर कैमरा ट्रैप लगाया जाएगा।
- यदि मादा बघेरा 7 दिनों के भीतर घटनास्थल पर वापस नहीं आती है, तो शावकों को सुरक्षित रूप से बचाव केंद्र में ले जाया जाए और पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा उनकी उचित देखभाल की जाएगी। इसके बाद, उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार शावकों को सुरक्षित रूप से तेंदुआ पुनर्वास केंद्र में पहुँचाया जायेगी।

11.6. बघेरा फंदे में फंसा हुआ पाया जाने पर :–

- बिन्दु संख्या 7 से 10 के अनुसार कार्यवाही करनी होगी।
- जानवर को सुरक्षित दूरी से बेहोश करें और बेहोशी की पुष्टि होने के बाद ही किसी तेज धार वाले कटर का उपयोग करके फंदा हटाएँ।
- फंदे से बघेरे को निकालने के पश्चात् पशु चिकित्सक द्वारा जॉच करने पर आगे की कार्यवाही हेतु निर्णय लिया जाना चाहिए।
- शिकारियों की पहचान हेतु उक्त क्षेत्र में स्टाफ द्वारा नियमित गस्त कर उक्त स्थानों पर कैमरा ट्रेप लगाये जायेंगे।

11.7 किसी बघेरे को आदमखोर घोषित करने के लिए सख्त वैज्ञानिक और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा:– ऐसे मामलों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

- फोरेंसिक साक्ष्य, डीएनए एनालिसिस, कैमरा ट्रैप और विशेषज्ञ मूल्यांकन के माध्यम से सत्यापन।
- मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक से अनुमोदन।
- जहां तक संभव हो, मारने की तुलना में बघेरे को पकड़ कर रेस्क्यू सेंटर/सफारी क्षेत्र में भेजने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

- मारने की अनुमति मिलने के पश्चात् भी हर संभव प्रयास यही होना चाहिए कि वन्यजीव को जीवित ही पकड़ा जाये। केवल अपरिहार्य परिस्थिति में ही मारने का विकल्प मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की अनुमति से सोचा जाना चाहिए।

11.8 बघेरों का अनावश्यक रूप से पकड़ना या स्थानांतरित करना अक्सर संघर्ष की स्थितियों को और बढ़ा देता है। निम्न परिस्थितियों में रेस्क्यू नहीं किया जावें:–

- बघेरे की उपस्थिति क्षणिक एवं घातक नही हो।
- जब बघेरा प्राकृतिक रास्ते से जा रहा हो।
- मानव जीवन के लिये उससे कोई खतरा नहीं हो।

भीड़ का प्रबंधन:– जनता की अत्यधिक जिज्ञासा और मीडिया के ध्यान के कारण राजस्थान में बघेरे के बचाव अभियानों में भीड़ नियंत्रण अक्सर सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है।

- सार्वजनिक आवाजाही को प्रतिबंधित किया जायेगी।
- पुलिस की अधिक संख्या में तैनाती। जिला अधिकारियों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 लागू करके कानून व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए।
- सार्वजनिक घोषणाएँ।
- मीडिया और वीडियो रिकॉर्डिंग।
- ड्रोन के द्वारा रेस्क्यू किये गये बघेरे को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिये उपलब्ध रास्तों में से सबसे सुरक्षित, कम भीड़ वाले रास्ते का चयन करना।

मीडिया प्रबंधन:– वन विभाग के अधिकृत प्रवक्ता को समय–समय पर मीडिया को (आवश्यकतानुसार) जानकारी देते रहना चाहिए ताकि अभियान/घटनाओं से संबंधित विकृत सूचनाओं का प्रसार रोका जा सके। सनसनीखेज या विकृत सूचना से और अधिक नुकसान/अपमान हो सकता है।

रेस्क्यू किये गए बघेरे का पुनर्वास:– मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक इस बारे में अंतिम निर्णय लेंगे कि पकड़े गए /रेस्क्यू किए गए बघेरा को वापस जंगल में छोड़ा जाना है या चिड़ियाघर/रेस्क्यू केंद्र में स्थानांतरित किया जाना है।

छोड़े गए बघेरे की निगरानी:– जंगल में छोड़े जाने की स्थिति में, जानवर की निगरानी कुछ दिनों तक प्रत्यक्ष अवलोकन और/या स्थानीय लोगों से उसकी उपस्थिति के संकेतों/जानकारी के माध्यम से की जानी चाहिए, जब तक कि वह संतोषजनक रूप से ठीक न हो जाए और प्राकृतिक आवास में घुलमिल न जाए।

जागरूकता कार्यक्रमः–

- आम–जन के साथ सौहाद पूर्ण सामन्जस्य (Good will) बनाना।
- आम जन में घबराहट को कम करने, प्रतिशोधात्मक कार्रवाइयों को रोकने और सह–अस्तित्व (Co-existence) को बढ़ावा देना।
- पशुओं के लिए शिकारी–रोधी बाड़ों को बढ़ावा देना।
- शिकार प्रजातियों के आकर्षण को रोकने और घटनाओं को कम करने के लिए जानवरों के शवों का सुरक्षित निपटाना, विशेषकर जब बघेरे मानव बस्तियों में भटक रहे हो।
- मुआवजा योजनाओं के बारे में नियमित जागरूकता बढाना। प्रभावित क्षेत्रों/ग्रामो में इस तरह के पोस्टर लगवाना।
- पशुधन की हानि और मानव चोट/मृत्यु के लिए मुआवजे के तंत्र को मजबूत करना जिसमें सरल दावा प्रक्रिया, त्वरित सत्यापन और पारदर्शी भुगतान प्रक्रिया अपनाना।
- ग्राम समितियों और पर्यावरण विकास समूहों के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना। लोगों को ऐसी स्थितियों के प्रति जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
- वन मंडल स्तर पर एक फ्लेशिबल इन्सोयोरेन्स पॉलिसी जिसमें जानवरों के हमलों से घायल/मृत व्यक्तियों के लिये बिना नाम की एक निर्धारित प्रीमीयम पर खुलवाना।

राजस्थान राज्य में वन्यजीव प्रबंधन से जुड़े सभी अधिकारियों, अर्थात् फील्ड निदेशकों/डीसीएफ (डब्ल्यूएल) और साथ ही डीसीएफ (क्षेत्रीय) द्वारा अपने–अपने अधिकार क्षेत्र में मानव बस्तियों में आये बघेरों के बचाव से संबंधित आपातकालीन मामलों के प्रबंधन के लिए इस मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन किया जाना अनिवार्य है। संलग्न किये गये Annexures में सूचना भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्नः– Annexures

(के0सी0ए0 अरूण प्रसाद)
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,
राजस्थान, जयपुर

कमांक एफ 3 (2)/पार्ट 1/मुवजीप्र/2014–02093–3093071/29 दिनांक 16-04-2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, राज0, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त संभागीय आयुक्त।
4. समस्त पुलिस महानिरीक्षक ।
5. समस्त मुख्य वन संरक्षक।
6. समस्त जिला कलेक्टर।
7. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक।
8. समस्त उप वन संरक्षक।

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,
राजस्थान, जयपुर

ANNEXURE-1

PHYSICAL EXAMINATION WORKSHEET

Priority to be given to treatment of life threatening conditions like shock, bleeding wounds; otherwise a systematic physical examination should be carried out before initiating treatment).

Date: Species

Location captured/rescued:
Sex:
Microchip ID: Location of chip:

Weight(kgs)
Body condition (Fat/good/thin/poor)
Dehydration status
Skin
Wounds/cuts/abrasions/swollen lymph nodes
Parasites
Eyes:

i. discharge
ii. conjunctiva
iii. pupils
iv. lesions

Ears

i. discharge
ii. foreign body
iii. parasites

Nasal area: discharge

Mouth CRT sec
lesions
gums
teeth (plaque/coloration/wear and tear/broken)

Musculoskeletal system
swelling
fracture/dislocation

Cardiopulmonary system
Heart rate/min (Auscultate left side of the chest between 3rd and 6th intercostal space)

Respiratory rate/min

i. depth
ii. regularity

Urogenital system

DOCUMENTATION SHEET NO .:

Date:

CHEMICAL RESTRAINT

Supervising Officer:

Rank:

Attending Veterinarian:

Assistant:

Species:

Transponder ID:

Remarks:

Body Condition

Weight (kg)

Estimated:

Actual:

Ambient Temperature (°C)

Relative Humidity (%):

Time

DDS

Drug Used (ml)

Success of delivery

Time

Effects/complications

MONITORING

Temp(C/°F)
Rectal temperature Respiration rate (breaths/minute)
Pulse rate (beats/minute)

BLOOD SAMPLE
Plain:
EDTA:
Other

BLOOD SMEAR

ECTOPARASITES

OTHER PROCEDURES

DDS: Drug delivery system Complete/Partial/None/Not Sure

Excitement/Ataxia/Salivation/Recumbency/Panting/Regurgilation/Seizures/Respiratory Arrest/ Cardiac Arrest/Death/Others.

hp/

ANNEXURE-2

Data Sheet for Recording and Monitoring Immobilized Animal

Area Details____

Date

Location ______________GPS Lat Long

Purpose of capture

Ambient temperature

Day (cloudy, bright)

Animal Details

Species

Physical condition

Emotional state before drugging

Sex____

Approximate age_________________________Weight (kg)_______________________

Breeding status____

Body Measurements____

Nose tip to tip of tail____

Nose tip to base of tail____

Tail Length

Height (Shoulder blade of heel)

Hind limb length_________________

Left fore limb or hind limb pad dimension Length_____________

Width_____________________

ANNEXURE- 3

Veterinary Protocol

- Drug dosage determined by veterinarian.
- Monitor respiration, heart rate.
- Emergency medical kit mandatory.
- Responsibility of Drugs will be of Veterinary Officer.
- V. O. shall inform the drug doses and examination report to the concerned DCF.